



शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

प्रेषक,

अपर परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान,
राज्य परियोजना कार्यालय,
लखनऊ।

सेवा में,

एस0आई0ओ0
एन0आई0सी0,
तृतीय तल, योजना भवन,
लखनऊ।

पत्रांक: 3J/सामु0सह0/आर0टी0ई0/ 4960 /2016-17 दिनांक : 6 फरवरी, 2017

विषय: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1)(ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में ऑनलाइन प्रवेश हेतु प्रक्रिया निर्धारण के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3087(1)/79-5-2012-29/2009 टी0सी0-11, दिनांक 03 दिसम्बर, 2012, शासनादेश संख्या-538/79-6-2013, दिनांक 20 जून, 2013, शासनादेश संख्या: 266/79-5-2016-29/2009 टी0सी0-11, दिनांक 24 फरवरी, 2016, शासनादेश संख्या: 582/79-5-2016-29/2009टी.सी.-11 दिनांक 03 मार्च, 2016 एवं शासनादेश संख्या : 499/79-5-2016-29/2009 टी0सी0 दिनांक 11 मई, 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में सचिव, मुख्यमंत्री द्वारा सचिव, बेसिक शिक्षा को दिनांक 28 सितम्बर, 2016 को पत्र के माध्यम से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया को पूर्णतः ऑन लाईन किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन द्वारा अपने पत्र संख्या: सी0एम0 78/79-6-2016 दिनांक 18 अक्टूबर, 2016 द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत आस-पड़ोस के गैर-सहाय्यतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में "अलाभित समूह" और "दुर्बल वर्ग" के बच्चों को कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु प्रक्रिया को पूर्णतः ऑन लाईन किए जाने हेतु शिक्षा निदेशक (बेसिक) को निर्देशित किया गया था।

उक्त के क्रम में शासन का शासनादेश संख्या: 78/79-6-2017 दिनांक 20 जनवरी, 2017 निर्गत किया गया है जिसमें उक्त प्रक्रिया को ऑनलाइन किये जाने का भी निर्णय लिया गया है। जिसकी प्रति आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित की गयी है।

तत्क्रम में ऑनलाइन प्रक्रिया को एन0आई0सी0 के द्वारा सम्पादित करने हेतु दिशा-निर्देश निम्नवत् है :-

1. डाटा फ्रीजिंग एवं फ्रीजिंग :-

- (क) विद्यालयों सम्बन्धित आंकड़ा हेतु यू-डायस डाटा का उपयोग किया जायेगा। ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया को एक वेब-पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जायेगा। पोर्टल एवं प्रवेश हेतु कम्प्यूटराइज्ड लॉटरी आनलाइन मॉड्यूल का निर्माण, तकनीकी सहयोग, वेब साईट होस्टिंग एवं इससे जुड़े समस्त तकनीकी कार्य एन0आई0सी0 द्वारा किए जायेंगे। इससे सम्बन्धित व्यय एन0आई0सी0 की मांग अथवा तकनीकी सलाह पर सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0 द्वारा वहन किया जायेगा।
- (ख) शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा वेब पोर्टल को क्रियान्वित किया जायेगा और इस प्रक्रिया में भी यदि किसी धनराशि की आवश्यकता होगी, तो शिक्षा निदेशक (बेसिक) की मांग पर सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा।
- (ग) वेबसाईट का निर्माण पूर्ण होने के पश्चात शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा इसकी टेस्टिंग कराते हुये पोर्टल की परिशुद्धता को प्रमाणित कराया जायेगा। तत्पश्चात वेबसाईट आडिट हेतु प्रेषित कर आडिट के बाद जनसामान्य हेतु प्रकाशित कर दी जायेगी। इस हेतु समस्त धनराशि सर्व शिक्षा अभियान, उत्तर प्रदेश द्वारा वहन की जायेगी।
- (ग) यदि आवेदन पत्र में मान्यता प्राप्त गैर अनुदानित विद्यालय का अंकन किया गया है, किन्तु वेब पोर्टल पर उस विद्यालय के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है अथवा गलत सूचना दी गयी है, तो इस सम्बन्ध में लॉक व डिजिटल हस्ताक्षरित करने से पूर्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उक्त सूचना को संशोधित करते हुये, विद्यालय के वार्ड/ग्राम पंचायत का सही नाम, प्रधानाचार्य का नाम, मोबाईल नं0 एवं ई.मेल आई.डी आदि को सम्मिलित करते हुए डाटा को फ्रीज करेंगे।
- (घ) उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में आस-पड़ोस (Neighborhood) के सम्बन्ध में दी गई परिभाषा के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बच्चों के प्रवेश हेतु कार्यवाही की जायेगी।
- (ङ) वेब पोर्टल को सुचारु रूप से क्रियान्वयन कराने का समस्त उत्तरदायित्व शिक्षा निदेशक(बेसिक) का होगा।

2. आवेदन पत्र का प्रेषण :-

- (क) अभिभावकों द्वारा उनके बच्चों के प्रवेश हेतु उक्त संदर्भित अधिनियम 2009 की धारा 12-1(ग) के अन्तर्गत वेब पोर्टल पर उपलब्ध ई-फार्म के माध्यम से आवेदन पत्र प्रेषित किया जायेगा। वेब पोर्टल पर उपलब्ध User Manual में दिए गए निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र भरा जायेगा।

Handwritten signature
6/2/13

- (ख) ई.फार्म में अभिभावक वरीयता के क्रम के आधार पर आस-पड़ोस (Neighborhood) के विद्यालयों का विकल्प (Option) भरेंगे।
- (ग) अभिभावकों द्वारा यदि उनके घर के आस-पास कोई विद्यालय है, जिसका विवरण जनपद के आंकड़े में उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में अभिभावकों के लिये पोर्टल पर सुविधा होगी, जिसमें वह ऐसे विद्यालय का नाम अन्य विवरण के साथ दर्ज करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पोर्टल पर प्राप्त ऐसे विद्यालयों की प्रमाणिकता की जांच कराकर सही होने की दशा में विद्यालय को मास्टर डाटा में सम्मिलित कराया जायेगा।
- (घ) अभिभावकों को ऑन लाईन आवेदन हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा, तथापि यदि किन्हीं कारणों से कतिपय अभिभावकों द्वारा प्रवेश हेतु ऑफ लाईन आवेदन किया जाता है, तो ऐसे प्राप्त आवेदन पत्रों को सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सत्यापित कराकर वेब पोर्टल पर अपलोड करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की होगी।

3. सत्यापन :-

- (क) अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों के नामांकन के लिये किये गये आवेदनों की सूची जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को वेबपोर्टल पर उपलब्ध होगी।
- (ख) प्राप्त सूची में यदि किसी अभिभावक द्वारा एक बच्चे हेतु एक से अधिक बार नामांकन हेतु आवेदन किया गया है तो उसके द्वारा आवेदित अन्तिम आवेदन पत्र के आधार पर प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- (ग) ऐसे आवेदन पत्र जो निरस्त किए गए हों, उनका विवरण पृथक से रखा जायेगा एवं निरस्तीकरण का कारण भी दर्ज किया जायेगा।

4. प्रवेश हेतु लॉटरी प्रक्रिया :-

अभ्यर्थियों को विद्यालय का आवंटन जनपद स्तर पर केन्द्रीकृत लॉटरी के आधार पर किया जायेगा। लॉटरी प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है :-

- (क) सर्वप्रथम प्रत्येक अभ्यर्थी को एक रैण्डम लॉटरी नम्बर आवंटित किया जायेगा।
- (ख) लॉटरी नम्बर के आरोही क्रम में प्रत्येक अभ्यर्थी को उसकी वरीयता के आधार पर विद्यालय का आवंटन किया जायेगा।
- (ग) विद्यालयों को रजिस्टर्ड ई-मेल के माध्यम से बच्चों की सूची भेजी जायेगी साथ ही पोर्टल पर स्कूल अपना नाम एवं उसमें प्रवेश प्राप्त करने वाले बच्चों की सूची प्राप्त कर सकता है।
- (घ) लॉटरी के उपरान्त चयनित एवं निरस्त अभ्यर्थियों के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0 के माध्यम से सूचना प्रेषित की जायेगी।
- (ङ.) लॉटरी की तिथि को लॉटरी संचालित करने की समस्त प्रक्रिया जिलाधिकारी के द्वारा पोर्टल पर लॉगिन के माध्यम से की जायेगी।

Handwritten signature

5. लॉटरी के परिणाम के आधार पर विद्यालयों द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया :-

- (क) अभिभावकों द्वारा बच्चों के प्रवेश हेतु किए गए आवेदन पत्रों में से ऐसे आवेदन पत्र जिनमें अकादमिक सत्र प्रारंभ होने की तिथि (01 अप्रैल) को बच्चों की आयु 03 वर्ष से अधिक एवं 06 वर्ष से कम है, ऐसे बच्चों का नामांकन सम्बन्धित विद्यालय द्वारा पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में सुनिश्चित किया जायेगा, यदि उस विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित होती हो।
- (ख) ऐसे बच्चे जिनकी आयु अकादमिक सत्र प्रारंभ होने की तिथि (01 अप्रैल) को 06 वर्ष या उससे अधिक एवं 07 वर्ष से कम हैं, ऐसे बच्चों का नामांकन सम्बन्धित विद्यालय द्वारा कक्षा-1 में सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ग) एन0आई0सी0 द्वारा प्रत्येक विद्यालय को एक लॉगिन आई0डी0 (Login ID) एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा, जिसकी सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित विद्यालय को प्रेषित की जायेगी।
- (घ) अभ्यर्थी के विद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया के समय विद्यालय द्वारा पोर्टल पर Login कर अभ्यर्थी का आवेदन नम्बर दर्ज किया जायेगा जिसकी सूचना (OTP/SMS) रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर उपलब्ध होगी। OTP/SMS को अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय को दिखाकर उसके प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी एवं अभ्यर्थी से सम्बन्धित समस्त अभिलेख (Document) वेब पोर्टल से डाऊनलोड किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त विद्यालयवार प्रवेश की स्थिति पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी। इस कार्य हेतु एन0आई0सी0 में वांछित तकनीकी सामग्री एस0एम0एस0 पैक, ए0पी0आई0 व इंटीग्रेशन हेतु वांछित तकनीकी सहयोग सेवा प्रदाता के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान द्वारा की जायेगी।
- (ङ) यदि किन्हीं कारणों से विद्यालय द्वारा अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाता है तो उसका स्पष्ट कारण विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा वेब पोर्टल पर सूचित किया जायेगा।
- (च) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सूची का सत्यापन एवं संशोधन करते हुये अपनी संस्तुति के साथ पुनः वेबपोर्टल पर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ उपलब्ध करायेंगे।
- (छ) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामांकन के उपरान्त सम्पूर्ण सूची शिक्षा निदेशक (बेसिक) एवं राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान को उपलब्ध करायी जायेगी जिसके आधार पर शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा विद्यालयों को फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही करायी जायेगी।
- (ज) प्रत्येक चरण में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त विद्यालयवार बच्चों की सूची -जन्मतिथिवार, कक्षावार, लिंगवार, वर्गवार (अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग) पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी। माह अगस्त में उपरोक्तानुसार जनपद की पूर्ण सूची पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी।

6. मास्टर डाटा निर्माण व अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों हेतु समय सारिणी:-

Signature

- (क) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मास्टर डाटा लॉक व डिजिटल हस्ताक्षरित करना— दिनांक 24 फरवरी, 2017 तक।
- (ख) अभिभावकों द्वारा पोर्टल पर आवेदन में अंकित विद्यालयों, जो पूर्व से डेटा बेस में नहीं है, की जाँच कराकर मास्टर डाटा में सम्मिलित करना — दिनांक 20 मार्च, 2017 तक।

(ग) प्रवेश हेतु चरण:—

चरण	आवेदन करने की तिथियाँ	लॉटरी हेतु तिथि	विद्यालयों में प्रवेश सम्पन्न कराने की तिथि
प्रथम चरण	25 फरवरी से 15 मार्च, 2017	25 मार्च, 2017	01 अप्रैल, 2017 तक
द्वितीय चरण	16 मार्च से 15 अप्रैल, 2017	25 अप्रैल, 2017	01 मई, 2017 तक
तृतीय चरण	16 अप्रैल से 10 मई, 2017	15 मई, 2017	18 मई, 2017 तक
चतुर्थ चरण	11 मई से 15 जून, 2017	25 जून, 2017	01 जुलाई, 2017 तक

उक्त के पश्चात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक 15 दिन में प्राप्त आवेदन पत्रों को शासनादेश दिनांक 03 मार्च, 2016 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार निस्तारित करते हुये बच्चों का विद्यालयों में प्रवेश कराया जायेगा। उक्त समय सारिणी में स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत जिलाधिकारी द्वारा यथोचित परिवर्तन किया जा सकता है।

उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में पूर्व निर्धारित शासनादेशों की वर्णित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया को सुचारु रूप से सम्पादित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,
(राजकुमारी वर्मा)

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव 4960 डि 6/2/17 अपर परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक) को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अधिकारी को इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश देते हुये एस0आई0ओ0, एन0आई0सी0 से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर सभी जनपदीय अधिकारियों को प्रवेश हेतु दिशा निर्देश निर्गत कराने का कष्ट करें।
3. समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक/मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
4. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
5. वित्त नियंत्रक, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
6. वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद।
7. वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, समस्त जनपद।
8. गार्ड फाईल।

(राजकुमारी वर्मा)
अपर परियोजना निदेशक